



राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चंदौली

(Government Degree College, Naugarh, Chandauli)



Pin Code-232111

(Affiliated to Mahatma Gandhi KashiVidyapith Varanasi, U.P.)

Website-www.gdcnaugarh.ac.in

E-mail-principal233gdcnaugarh@rediffmail.com

सत्र 2025-26 में आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्यनियम व निर्देश:-

- महाविद्यालय में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- सत्र 2025-26 में (NEP) बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथियों के अनुसार महाविद्यालय की वेबसाइट onlinegdcnaugarh.in अथवा gdcnaugarh.ac.in के माध्यम से Apply online पर क्लिक करके आवेदन फार्म पर जो सूचनाएं मांगी गई है उन्हें भरना होगा तथा अधिकतम 100 KB का फोटो व हस्ताक्षर JPEG फार्मेट में अपलोड करना होगा।
- फार्म भरने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन स्लीप मिलेगी। उसके बाद Pay Now पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी को Payment Slip मिलेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा न करने की स्थिति में आवेदन पत्र अपूर्ण माना जायेगा।
- अभ्यर्थी अपना पूर्ण आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए Print Application Form पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि भरकर फार्म का प्रिंट आउट (हार्ड कॉपी) ले लेंगे।
- (NEP) बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट महाविद्यालय की उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित एवं महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी।
- मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर काउंसिलिंग हेतु अपने प्रवेश आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (कॉलेज कॉपी) के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों , अंकपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों को संलग्न कर तथा समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों के साथ महाविद्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पूर्व के विद्यालय से टी०सी० एवं सी०सी० की मूल प्रतियां समय से प्राप्त कर लें ताकि काउंसिलिंग हेतु प्रवेश समिति से समक्ष प्रस्तुत कर सकें। टी०सी० एवं सी०सी० की मूल प्रतियों एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के अभाव में अथवा आवेदन पत्र अपूर्ण रहने की दशा में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रवेश समिति द्वारा वरीयता सूची से मिलान करने के पश्चात् तथा प्रवेशार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरान्त प्रवेश की संस्तुति करने की दशा में वरीयता सूची के अनुसार ही विषय आवंटित किये जायेंगे। विषय आवंटन के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं होगा।
- प्रवेश की संस्तुति / स्वीकृति के पश्चात् अभ्यर्थी को सत्र 2025-26 की अपनी कक्षा की निर्धारित फीस ऑनलाईन जमा करनी होगी।
- अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखकर निर्धारित तिथि व समय पर काउंसिलिंग हेतु महाविद्यालय में समस्त प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित हो। प्रवेश की संस्तुति हो जाने पर निर्धारित अवधि में अपनी फीस ऑनलाईन जमा कर दें। फीस जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। प्रत्येक छात्र-छात्रा जमा किये गये शुल्क की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें जिसकी आवश्यकता भविष्य में छात्रवृत्ति , राष्ट्रीय सेवा योजना , डी०जी० शक्ति आदि के फॉर्म भरने तथा परिचय पत्र प्राप्त करने में पड़ती है।

- निर्धारित अवधि में काउंसिलिंग हेतु उपस्थित न होने अथवा निर्धारित फीस जमा न करने की स्थिति में प्रवेशाधिकार स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा मेरिट सूची क्रमानुसार अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी एवं अभिभावक के लिए यह आवश्यक है कि नवीनतम जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर दी जाने वाली सूचनाओं नियमों तथा निर्देशों से भलि-भाँति अवगत रहें।
- (NEP) बी०ए० तृतीय सेमेस्टर तथा बी०ए० पंचम सेमेस्टर में प्रवेश की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर दी जायेगी। तत्पश्चात् अभ्यर्थी निर्धारित तरीके से ऑनलाइन फार्म भरकर फार्म की हार्ड कॉपी के साथ अंकपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर तथा मूल अंकपत्रों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रवेश की स्वीकृति के उपरान्त ऑनलाइन फीस जमा करेंगे।
- शैक्षणिक कैलेंडर 202 5-26 के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से सम्बन्धित सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी।
- स्नातक पाठ्यक्रम, सीट संख्या तथा शुल्क विवरण :

सत्र 2025-26 में बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य नियम व निर्देश-

महाविद्यालय में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ , वाराणसी के निर्धारित नियमानुसार NEP-2020 बी०ए० (सेमेस्टर) पाठ्यक्रम में अधोलिखित विषय चयन किया जा सकता है-

1. मुख्य विषय / Major Subjects

1. हिन्दी	(मेजर)
2. संस्कृत/ अंग्रेजी	(मेजर)
3. इतिहास	(मेजर)
4. अर्थशास्त्र	(मेजर)
5. राजनीति विज्ञान	(मेजर)
6. समाज शास्त्र	(मेजर)

2. माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्र / Minor Elective Papers

दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त एक माइनर इलेक्टिव (गौण प्रश्नपत्र) का चयन कर अध्ययन करना होगा। इसमें एक ही माइनर इलेक्टिव के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में तथा द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर में होगी।

1. हिन्दी	(माइनर)
2. संस्कृत/ अंग्रेजी	(माइनर)
3. इतिहास	(माइनर)
4. अर्थशास्त्र	(माइनर)
5. राजनीति विज्ञान	(माइनर)
6. समाज शास्त्र	(माइनर)

3. स्किल डेवलपमेंट / वोकेशनलकोर्स

स्नातक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में से एक एक प्रश्नपत्र -कौशल विकास/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करना होगा।

1. **प्रथम सेमेस्टर** – व्यावसायिक हिंदी
2. **द्वितीय सेमेस्टर** –रचनात्मक कौशल के गाँधीवादी आयाम
3. **तृतीय सेमेस्टर**–Marketing And Salesmanship

4.सह पाठ्यक्रम / Co-Curricular

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसकी सूची निम्नवत् है।

1. **प्रथम सेमेस्टर**- खादय पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition And Hygiene)
2. **द्वितीय सेमेस्टर** -मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values And Environmental Studies)
3. **तृतीय सेमेस्टर** -संचार, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill And Personality Development)
4. **चतुर्थ सेमेस्टर**- सामान्य हिंदी (General Hindi)

- प्रत्येक छात्र-छात्रा को दो मेजर विषय, एक माइनर विषय (जो दो चयनित मेजर विषयों से अलग होगा) तथा स्कील डेवलपमेंट के अन्तर्गत एक विषय एवं को-करिकुलर के अन्तर्गत एक विषय लेना अनिवार्य होगा।
- इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा। एक या दो वर्ष के अन्तराल की स्थिति में अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ पत्र बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख होगा कि मैंने किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थी को क्षैतिज प्रवृत्ति का अधिभार निम्नवत् लागू होगा।

(1). क्रीडा से सम्बंधित

- | | |
|---|--------|
| (क) विद्यालय के माध्यम से मण्डलीय राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर | 02 अंक |
| (ख)राज्य/राष्ट्रस्तरीय खिलाडी को खेल निदेशालय से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर | 05अंक |
| (ग) विद्यालय के माध्यम से अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर | 10अंक |

(2).एन.सी.सी. से सम्बंधित -

- | | |
|---|--------|
| (क) प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण पत्र धारकों के लिए | 05अंक |
| (ख) बी प्रमाण पत्र धारकों के लिए | 10 अंक |

(3).स्काउड गाइड से सम्बंधित-

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| (क) मण्डलीय प्रमाण पत्र धारक के लिए | 05अंक |
|-------------------------------------|-------|

(4).नौगढ़ तहसील के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी

विशेष- अधिभार की अधिकतम सीमा **25 अंकों** की ही होगी।

- काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को समस्त वांछित अभिलेखों यथा हाईस्कूल इण्टरमीडिएट के अंक पत्र प्रमाण पत्र एवं अन्तिम विद्यालय से निर्गत स्थानान्तरण तथा चरित्र प्रमाण पत्र , नवीनतम जाति प्रमाण पत्र नवीनतम आय प्रमाण पत्र नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र शपथ पत्र इत्यादि की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छुपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कार्यों से हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की सूचित तिथि तक निर्धारित शुल्क न जमा करने पर उसका प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय परिनियमावली 1973 की अनुसूची 08 की धारा 45 के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असन्तोषजनक होने पर किसी भी छात्र या छात्रा को निष्काषित किया जा सकता है।
- बिना कारण बताये प्राचार्य को कोई भी प्रवेश अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- योग्यता अनुक्रमणीय वरीयता क्रम के आधार पर ही प्रवेश किया जायेगा।
- समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणीय की संरचना इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्राप्तांक+अधिभार का अंक के आधार पर होगी।